राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर
अपील संख्या – 1085/2013/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिगं टैक्स तृतीय,
जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मै एस.के एसोसिएट्स,
जगतपुरा, जयपुर,

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विनय कुमार गोयल,
अभिभाषक
.......अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उपराजकीय अभिभाषक
.... प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 16/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 258/आरवैट में पारित आदेश दिनांक 21.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिगं टैक्स तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र दिनांक 15.12.2011 को 3 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत करने के आदेश दिये गये।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा "Construction of Boundary wall" की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की कंम संख्या 2 "Relating to buildings" के अनुसार निष्पादित किये जाने के आधार पर 1.5 प्रतिशत की दर से विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा निष्पादित कार्य को अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की क्रम संख्या दिनांक 4 के तहत् मानते हुए 3 प्रतिशत से विमुक्ति शुल्क की श्रेणी में मानते हुए प्रमाण पत्र संख्या 2855 दिनांक 15.12.2011 को जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र में संशोधन चाहने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसका निर्णय 21.01.2013 को पारित किया गया। उक्त निणर्य द्वारा व्यवसायी को 1.5 प्रतिशत विमुक्ति शुल्क का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया गया। अपीलार्थी का यह कथन अपीलीय अधिकारी ने स्वीकार किया है कि Construction of Boundary wall के निर्माण का

कार्य राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–12(63)एफडी / टैक्स / 2005–80 दिनांक 11.08.2006 के अनुसार works contract relating to buildings से कवर होता है।

उक्त आदेश के विरूद्व विभाग की ओर से उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। विभागीय प्रतिनिधि ने बताया कि कर निर्धारण अधिकारी को अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए आदेशित किया है कि व्यवसायी को 1.5 प्रतिशत से विमुक्ति शुल्क का प्रमाण पत्र जारी किया जावे। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी को कोई निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की। जैसा कि सामान्यतया प्रतिप्रेषित प्रकरण में किया जाता है। अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

व्यवहारी के अभिभाषक श्री विनय कुमार गोयल ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश सही है अतः इसे यथावत रखा जावे ।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। व्यवसायी के रिकार्ड से स्पष्ट है कि उसे जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा Construction of Boundary wall का कार्यादेश प्राप्त हुआ था। चूंकि उक्त कार्य relating to buildings से संबधित है इसलिए अपीलीय अधिकारी ने इस पर 1.5 प्रतिशत विमुक्ति शुल्क का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है जो उचित हैं। इस आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 14.03.2013 को संशोधित मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र 1.5 प्रतिशत का जारी कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलीय आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इसे यथावत रखा जाता है। राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

श्री मदनलाल मालवीय

(सदस्य)

श्री खेमराज

(अध्यक्ष)